

FPUPL/other/145911/2021

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन  
विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा  
के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और  
निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन  
संरक्षक की प्रतिकूल की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की  
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

cf. अनुसन्धान  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

दिनांक— 13/6/22  
स्थान.....

48  
हस्ताक्षर Anupam Gupta  
नाम— Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
सरकारी मोहर  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow